महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

महिला सशक्तिकरण
विकास का संकल्प

महिला विकास निगम, बिहार द्वारा जनहित में प्रकाशित

विकसित बिहार के लिए सात निश्चय

महिलाओं की भागीदारी

आर्थिक हल, युवाओं को बल

- राज्य में 20 से 25 वर्ष उम्र समूह की युवतियों को भी रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ता की सुविधा दो वर्षों के लिए।
- 'स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड' के तहत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा पास छात्रा के लिए भी 4 लाख तक का शिक्षा ऋण। साथ ही ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज सहायता।
- सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्र के द्वारा भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसर की जानकारी।
- उद्यमिता विकास एवं स्टार्ट–अप कैपिटल हेतु 500 करोड़ रूपये के वेंचर कैपिटल फण्ड युवाओं को उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सहायता।
- सभी 21 विश्वविद्यालयों एवं 815 कालेजों में निःशुल्क वाई–फाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा।

आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार

- राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण।
- लगभग 50 लाख महिलाएँ लाभ की हकदार।

हर घर बिजली लगातार

- राज्य के 22,484 गाँवों में पूरे समय बिजली।
- राज्य के 1,89,40,629 परिवारों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति।

हर घर नल का जल

- राज्य के 1,10,140 बसावटों में नल से पीने का पानी।
- राज्य के 1,89,40,629 परिवारों को नल का जल।

घर तक पक्की गली–नालियाँ

- राज्य के 1,89,40,629 परिवारों के लिए गन्दे पानी के निकास हेतु पक्की नालियाँ।
- 1,89,40,629 परिवारों के घर तक पक्की गलियाँ।

शौचालय निर्माण घर का सम्मान

- राज्य के 1,89,40,629 परिवारों के लिए उनके घर में शौचालय की सुविधा।

अवसर बढ़े, आगे पढ़ें

- राज्य के सभी 38 जिलों में जी.एन.एम. स्कूल, पैरा–मेडिकल स्कूल, पॉलिटेकनिक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं इंजीनियरिंग कॉलेज।
- राज्य 13 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना।
- राज्य 101 अनुमण्डलों में ए.एन.एम. स्कूल और सरकारी आई.टी.आई. की स्थापना।
- पाँच और नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना।

आइये, विकसित बिहार के लिए सहभागी बनें! महिला सशक्तिकरण की मुहिम को आगे बढ़ाएँ।
हमने बहुत कुछ हासिल किया है, किन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है!

महिला विकास निगम, एक संक्षिप्त परिचय

बिहार सरकार ने विकास के संदर्भ में महिलाओं के समेकित सशक्तिकरण और विकास को राज्य कार्ययोजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को जोड़ते हुए सुदीर्घ और प्रभावी कार्यक्रम को राज्य की नीति के रूप में स्वीकार किया है। इसके लिए महिलाओं एवं किशोरियों के विकास के विभिन्न आयामों को कार्यरूप देने, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के सफल कार्यवयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा आवश्यक तकनीकी सहयोग हेतु महिला विकास निगम, बिहार का निबंधन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861 की धारा 21 अन्तर्गत दिनांक 28 नवम्बर, 1991 को हुआ है। महिला विकास निगम, बिहार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण है। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण अधिनियमों यथाः घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 आदि का कार्यान्वयन राज्य में महिला विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। सरकार की जेंडर संवेदी नीतियों के निर्माण से लेकर उनके कार्यान्वयन में निगम ने अपने समर्पित और व्यावसायिक व्यवहार का परिचय दिया। आज निगम एक स्वत्रंत और मजबूत छवि वाले सरकारी उपक्रम के रूप में अपनी कुशल व्यावहारिक पहचान को स्थापित कर चुका है। महिला विकास निगम द्वारा चलायी जा रही कुछ मुख्य योजनाऐं निम्न हैं:

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनाः

आर्थिक सशक्तिकरण की योजनायेंः

महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर महिला महासंघों का क्षमतावर्द्धन, तकनीकी सहयोग एवं वित्त पोषण
हथकरघा पुनरूत्थान कार्यक्रम
प्रारंभिक पूँजीगत कोष
सेवा प्रक्षेत्र के लिए प्रशिक्षण

सामाजिक सशक्तिकरण की योजनायेंः

हेल्पलाईन योजना
अल्पावास गृह
सामाजिक पुनर्वास कोष
सुधार गृह
सामाजिक जागरुकता कार्यक्रम
कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास
रक्षा गृह

सांस्कृतिक सशक्तिकरण की योजनायेंः

महिला सांस्कृतिक मेला का आयोजन
नवाचारी योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

राज्य महिला सशक्तिकरण नीति, 2015 का कार्यान्वयन

केन्द्र संपोषित योजनाएं :

★ राज्य महिला संसाधन केन्द्र (एस.आर.सी.डब्ल्यू) ★ पूर्ण शक्ति केन्द्र ★ बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ
★ एकीकृत हस्तकरघा विकास योजना ★ टॉल फ्री 181 महिला हेल्पलाईन

डी.एफ.आई.डी. संपोषित 'स्वस्थ' परियोजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमः

★ जेंडर रिसोर्स सेंटर ★ ग्रामवार्ता ★ थानों में महिलाओं के लिए विशेष कोषांग
★ स्कूल इंटरवेन्शन ★ हेल्थ इंटरवेन्शन

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
दूसरी मंजिल, इंदिरा भवन, आर. सी. सिंह पथ, बेली रोड, पटना–1 (बिहार)
दूरभाष : 0612–2534 096, 2520 695, वेबसाईट : www.wdcbihar.org